

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

अनुज्ञप्ति

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (i) एवं 455 (i) के अंतर्गत

संख्या: DHA30080515935

दिनांक: 23-10-2017

श्री / श्रीमती VINOD JINDAL

पिता/पति का नाम LT BHAGWAT PRASAD

वार्ड नं. 30

मुहल्ला HARI MANDIR ROAD HIRAPUR, 2B SAI APPARTMENT NEAR PANCHMUKHI HOTEL, HIRAPUR, DHANBAD

नं. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

हस्ताक्षर

फर्म/प्रतिष्ठान का नाम CAMRY REALTY

व्यवसाय की प्रकृति BUILDING CONSTRUCTION

वार्ड 30

मुहल्ला / बाईलेन में MS CAMRY REALTY, HARI MANDIR ROAD, HIRAPUR, DHANBAD

के लिए निर्धारित शुल्क ₹ 500.00

(Five Hundred)

विविध रसीद सं. 15003111017032341

दिनांक

द्वारा प्राप्त कर वर्ष 2017 - 2018

के लिए अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

नोट :-

1. यह अनुज्ञप्ति जिस व्यवसाय के लिए निर्गत की गई है, वही व्यवसाय चलाया जाना है। इसमें यदि परिवर्तन की जाती है, तो निगम से पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा परिसर वृद्धि की सूचना निगम को देना अनिवार्य है।
3. व्यवसाय बंद करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
4. यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिए प्राप्त है उसी अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
5. प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण करना आवश्यक होगा।
6. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
7. नवीकरण में विलम्ब होने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 459 के अधीन Penalty देय होगा।
8. प्रतिष्ठान के सामने अवैध पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
9. निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही कचरा फैकना सुनिश्चित करेंगे।

